

7

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

सरफेसी वाद सं०-68/2019-20

UNITED BANK OF INDIA, BOKARO BRANCH

बनाम्

M/S NANDNI JEWELLERS

-: आदेश :-

16.04.2022

प्राधिकृत पदाधिकारी, United Bank of India, B.S. City Ind. Estate Branch, Balidih, Bokaro द्वारा धारा 14 (1) and (2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 (SARFAESI) के तहत विपक्षी M/s Nandni Jewellers प्रो० श्री पप्पु कुमार वर्मा सा०-नियर अंसारी मार्केट, मेन रोड, चास, बोकारो के विरुद्ध बैंक में गिरवी रखे गए सम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया गया है।

फलस्वरूप उक्त एक्ट के तहत कार्रवाई प्रारंभ करते हुए उभय पक्षों को अपना-अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया।

प्रथम पक्ष United Bank of India की ओर से विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दलील दी गई कि विपक्षी ने अपनी सम्पत्ति (Equitable Mortgage /Registered Mortgage of Land/Building bearing Deed No. 3319/3072 dated 05.05.2008, Mouza Bhiawanipur Thana No. 52, Khata No. 50, Plot No. 37, Area-05 decimals and structure thereon in the name of Smt. Putul Devi w/o Pappu Kumar Verma.) को गिरवी रखते हुए बैंक ऋण लिया गया था जिसे अब तक उनके द्वारा नहीं चुकाया गया है। उनके द्वारा ऋण की वापसी में अनियमितता बरती गई है, जिसके कारण ऋणकर्ता का खाता दिनांक-31.12.2018 को ही एन०पी०ए० हो गया है। दिनांक-05.02.2020 तक ऋणकर्ता पर कुल रुपये 32,71,444.00 के साथ ब्याज एवं अन्य शुल्क का बकाया है। ऋण की वापसी हेतु बैंक के द्वारा SARFAESI ACT-2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई के बावजूद भी विपक्षी की ओर से बकाया राशि की वापसी की दिशा में कोई पहल नहीं किया गया है। फलस्वरूप SARFAESI ACT-2002 की धारा-14 (1) & (2) के तहत विपक्षी की सम्पत्ति



पर दखल-कब्जा प्राप्त करने में शांति व्यवस्था भंग नहीं हो इसके लिए उनके द्वारा पुलिस बल की माँग की गई है।

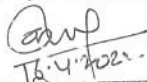
द्वितीय पक्ष नोटिस प्राप्त करने के बाद भी सुनवाई के दौरान पुकार पर लगातार अनुपस्थित है।

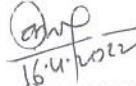
प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा दाखिल आवेदन पत्र एवं अभिलेख में संधारित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी के द्वारा ऋण की राशि वापस करने के लिए अब तक कोई ठोस पहल नहीं किया गया और न ही उनके द्वारा अब तक ऐसा कोई आधार/साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, जिससे प्रतीत हो कि उनके द्वारा ऋण की राशि वापस कर दी जाएगी। विपक्षी का सुनवाई के दौरान पुकार पर लगातार अनुपस्थित रहना उनके ऋण न चुकाने की मंशा को दर्शाता है।

वर्णित परिस्थिति में SARFAESI ACT-2002 की धारा 14(1) एवं (2) निहित प्रावधानों के तहत प्राधिकृत पदाधिकारी United Bank of India, B.S. City Ind. Estate Branch, Balidih, Bokaro द्वारा किए गए अनुरोध पर प्रश्नगत सम्पत्ति/भूमि पर दखल कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति भंग न हो इसके लिए विधि-व्यवस्था सधारण हेतु पुलिस अधीक्षक, बोकारो एवं संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापिता एवं संशोधित।


 16.4.2022
 उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी बोकारो।


 16.4.2022
 उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी बोकारो।